भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 489

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

बाल श्रम

489. श्री जयंत सिन्हा:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत कितने स्वीकृत और प्रचालनरत जिले हैं;

(ग) वर्ष 2020-21 में झारखंड में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को जिला-वार कितनी धनराशि जारी की गई ;

(घ) झारखंड में इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संगठनों के जिला-वार नाम क्या हैं;

(ङ) क्या बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अभी भी निधियां आबंटित की जानी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एनसीएलपी योजना में शामिल नहीं किए गए जिलों की संख्या कितनी है;

(च) एनसीएलपी योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) जागरूकता कार्यक्रमों और उनके परिणामों के लिए एनसीएलपी योजना के तहत आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31.01.2023 तक) के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): एनसीएलपी योजना को दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वित करने हेतु अनुमोदन दिया गया था और तब से इस योजना को शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में शामिल/सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनसीएलपी योजना को 324 जिलों में स्वीकृत किया गया था और दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यह योजना देश के 59 जिलों में प्रचालनरत थी।

(ग) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय एनसीएलपी योजना के तहत सीधे गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी नहीं करता है। जिले के प्रशासनिक प्रमुख नामतः जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित जिला परियोजना समितियों (डीपीएस) को धनराशि जारी की जाती है। डीपीएस एनसीएलपी योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी करती है।

(च): वर्ष 2022-23 के दौरान (दिनांक 31.01.2023 तक) एनसीएलपी योजना के तहत नामांकित बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में 3.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(छ): श्रम और रोजगार मंत्रालय अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से बाल श्रम के बारे में जन जागरूकता सृजित करता है। इसके अतिरिक्त, डीपीएस, जहां एनसीएलपी योजना कार्यान्वित है, द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके लिए उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रतिवर्ष प्रति डीपीएस 50,000 रु. की राशि जारी किए जाने का प्रावधान है।

* *****

अनुबंध

"बाल श्रम" के संबंध में श्री जयंत सिन्हा और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	आंध्र प्रदेश	309.46	202.68	306.29	32.01	116.37
2	असम	1109.45	198.28	49.64	81.10	140.68
3	गुजरात	99.41	154.31	61.36	12.23	0
4	हरियाणा	234.66	191.77	116.83	34.79	0
5	जम्मू और कश्मीर	56.14	0	32.48	0	0
6	झारखंड	0	274.54	177.42	0	60.72
7	कर्नाटक	184.23	127.38	82.74	7.53	12.27
8	मध्य प्रदेश	514.34	491.67	363.41	143.29	236.50
9	महाराष्ट्र	106.19	998.70	931.49	196.53	102.54
10	नागालैंड	0	4.00	0	0	0
11	ओडिशा	138.62	188.57	115.16	236.66	43.24
12	पंजाब	256.88	282.35	206.41	317.35	37.53
13	राजस्थान	319.46	281.40	124.19	16.64	0
14	तमिलनाडु	878.53	811.44	482.00	323.45	178.14
15	तेलंगाना	204.56	132.11	152.86	71.56	94.65
16	उत्तर प्रदेश	1420.72	759.66	433.83	137.70	99.91
17	उत्तराखंड	0	32.64	0	0	0
18	पश्चिम बंगाल	1896.90	2503.72	463.37	203.10	424.26

* दिनांक 31.01.2023 तक

****